27.1.202.	पत्रावली पेश हुई। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोन्डेन्ट वावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये। अपीलान्ट का कथन है कि नामान्तरण नं. 469 निर्णय दिनांक 20.7.2004 में सरपंच द्वारा अपीलान्ट शिवकुमार S/o श्याम लाल जाति ब्राह्मण नि. राजौर का नाम शिवकुमार के स्थान पर गुड्डू बिना जांच करे ही लिख दिया जो गलत है पिता श्याम लाल की मृत्यु के उपरान्त विरासत के नामान्तरण मे बिना जांच किये अपीलान्ट का नाम गुड्डू लिख दिया जो सही नहीं है। अपीलान्ट का सही नाम शिवकुमार S/o श्याम लाल है। सभी दस्तावेज मार्कशीट आधार कार्ड पहचान पत्र मे नाम शिवकुमार ही है। अतः नामा. नं. 469 दि. 20.7.2004

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.01 11:48:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को अपास्त कर पुन: नामान्तरण सही नाम शिवकुमार के नाम से तस्दीक कराये जाने का निवेदन किया गया है। हमने बहस अपीलान्ट वकील का श्रवण किया व पत्रावली का अवलोकन किया। नामा० नं. 469 दि० 20-7-2004 ग्राम राजौर सरपंच द्वारा तस्दीक करते समय बिना जाँच किये आवेदक का नाम गुड्डू लिखा गया है। जो निरस्त योग्य है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण 469 दि० 20-7-2004 वाके ग्राम राजौर निरस्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार करौली को रिमान्ड कर निर्देश दिये जाते हैं। कि अपीलान्ट के सही नाम शिवकुमार पुत्र श्याम लाल के नाम से पुन: नामा० तस्दीक करें। पत्रावली निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार करौली को मूल नामा० पत्रावली वापिस लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.01 11:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner